न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
03/2025	27.02.2025	27.02.2026

पीठासीन अधिकारी–श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– कृष्णामुरारी पुत्र रोडूलाल जाति मीणा निवासी धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रार्थी)

बनाम

1– गिरीराज कुमार पुत्र रोडूलाल जाति मीणा निवासी धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2– राजकरन्ता पुत्री रोडूलाल पत्नि छोटूलाल जाति मीणा निवासी ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
3– फोरन्ता पुत्री रोडूलाल पत्नि जीतू जाति मीणा निवासी भेडोलिया खेड़ली तहसील बांरा जिला बांरा राज0।
4– कजोड़ीबाई बेवा रोडूलाल जाति मीणा निवासी धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
5– धन्नालाल पुत्र बाला जाति मीणा के का0 मुकाम
5/1 चमेली बाई बेवा धन्नालाल जाति मीणा निवासी धनवां तहसील दीगोद।
6– रामकरण पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 दीगोद जिला कोटा राज0।

(अप्रार्थीगण)

1– प्रार्थीगण की ओर से– श्री सुरेन्द्र दाधिच एडवोकेट
2– अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 की ओर से –श्री ओमप्रकाश सोनी एडवोकेट
3– अप्रार्थी क्रम 5/1 एवं 6 की ओर से –श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रार्थीगण ने उपरोकत शीर्षक का प्रार्थना पत्र न्यायालय में निम्न रूपेण पेश किया है :–

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण ने ग्राम धनवां तहसील दीगोद में खाता संख्या 158 में खसरा नम्बर 115 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 17/624 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 21/579 रकबा 0.31 हे0, खसरा नम्बर 221/618 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 475 रकबा 1.20 है0, खसरा नम्बर 476 रकबा 0.54 है0 खसरा नम्बर 477

रकबा 0.25 है0 खसरा नम्बर 0.52 है0 खसरा नम्बर 63/590 रकबा 0.50 है0 खसरा नम्बर 71 रकबा 0.19 है0 किता 10 रकबा 3.96 है0 भूमि स्थित है उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 का हिस्सा 1/3, अप्रार्थी क्रम 5 का हिस्सा 1/3, अप्रार्थी क्रम 6 का हिस्सा 1/3 भूमि खाते में दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 उक्त भूमि में से 1/6–1/6 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। यह कि प्रार्थी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है–

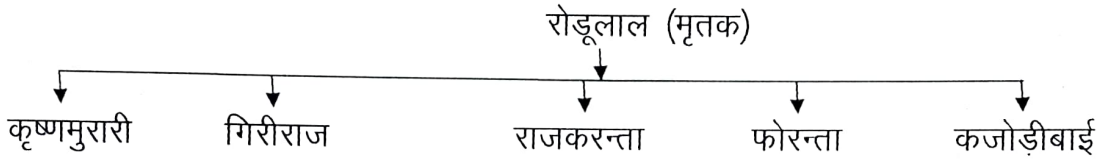

यह कि उक्त विवादित आराजी में अप्रार्थिया क्रम 2 व 3. 4 का नाम रोडूलाल के फौत होने से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है परन्तु अप्रार्थिया क्रम 2. 3 व 4 मीणा जाति (अनुसूचित जन जाति) की होने के कारण पुरुष उत्तराधिकारी होने से पुत्रियों का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुसूचित जनजाति में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नही होता हैं पुराना लॉ (कस्टम लॉ) लागू होता है। इसलिए उक्त रोडूलाल के हिस्से 1/3 भूमि में अप्रार्थिया क्रम 2 व 3 तथा 4 का हिस्सा नही होने से इनके 1/15–1/18–1/15 हिस्से की भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 काबिज होने से प्रार्थी को 1/6 व अप्रार्थी क्रम 1 का 1/6 हिस्से की भूमि के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अप्रार्थी क्रम 2, 3 व 4 का नाम खाते से हटाया जावे। यह कि उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणो के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि का विकास कार्य करवाने एवं सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने में परेशानी आ रही है। इसलिए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवादित भूमि का बटवारा कर प्रार्थी को 1/6 हिस्से की भूमि पृथक से खसरा नम्बर व लगान तय किया जावे। यह कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फमायी जावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि में व्यवधान नहीं करें, रहन, बेचान नहीं करे, कब्जा करने का प्रयत्न नहीं करें, प्रार्थी को शांतिपूवर्तक काश्त करने देवें, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे, और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण जारी फरमायी जावें। यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस

तथ्यों पर आधारित है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यह कि यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त मंसूबे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति मुद्रा से किया जाना संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वाके ग्राम धनवां तहसील दीगोद में खाता संख्या 158 में खसरा नम्बर 115 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 17/624 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 21/579 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 221/618 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 475 रकबा 1.20 हे0, ख0नं0 476 रकबा 0.54 हे0, ख0नं0 477 रकबा 0.25 हे0, ख0नं0 553 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 63/690 रकबा 0.50 हे0, ख0नं0 71 रकबा 0.19 हे0 किता 10 रकबा 3.96 हे0 भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि में व्यवधान पैदा नही करे, कब्जा करने का प्रयत्न नहीं करें, जब तक विवादित भूमि का बटवारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य नहीं हो जावे तब तक रहन, बेचान नही करें, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करें, और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण जारी फरमायी जावे।

प्रार्थीगण की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।
1— नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 ग्राम धनवां

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन पेश करने पर प्रतिवादीगण की तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की तलवी होने के बाद उपस्थित होने पर प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा बहस सुनी जाकर इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 31/2025 दिनांक 27.02.2025 प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की गयी कि ग्राम धनवां तहसील दीगोद में खाता संख्या 158 में खसरा नम्बर 115 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 17/624 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 21/579 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 221/618 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 475 रकबा 1.20 हे0, ख0नं0 476 रकबा 0.54 हे0, ख0नं0 477 रकबा 0.25 हे0, ख0नं0 553 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 63/690 रकबा 0.50 हे0, ख0नं0 71 रकबा 0.19 हे0 किता 10 रकबा 3.96 हे0 भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करें तथा उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें का स्थगन आदेश जारी किया गया।

उभयपक्षकारान अधिवक्तागण उप0। अप्रार्थी कम 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सोनी ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार– प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में सफलता नहीं मिल सकती। यह कि प्रार्थी ने गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर व सही तथ्यों को छिपा कर वाद पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थी को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। प्रार्थी ने अपने वाद पत्र की प्लीडिंग में वाद कारण की कोई घटना व तारीख अंकित नहीं की है अतः वाद कारण के अभाव में दावा व प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी नम्बर 1 ता 4 अपने अपने हिस्से व काबिज काश्त है। प्रार्थी का 1/6 हिस्से पर कबजा नहीं है और न ही 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। यह कि प्रतिपक्षीगण ने कभी भूमि को बेचान करने की धमकी नहीं दी। प्रतिपक्षी नं0 1 ता 4 को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा दर्ज है इस कारण प्रार्थी 1/15 हिस्से की भूमि विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी है। इस कारण प्रार्थी के 1/15 हिस्से की भूमि को अलग किये जाने में प्रतिपक्षी नं0 1 ता 4 को कोई आपत्ति नहीं है। यह कि प्रार्थी का केस प्राइमा फेसी केस नहीं है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है ओर न अपरिमित क्षति होने की सम्भावना है। इस कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। यह कि प्रार्थी ने प्रतिपक्षी न0 2–3–4 के हिस्से की भूमि को हडपने के लिये दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रतिपक्षीगण सहखातेदार है जिनके खिलाफ अस्थायी निषेधज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी किसी प्रकार से प्रतिपक्षीगण के खिलाफ माननीय न्यायालय से अस्थायी निषेधज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारीज फरमाया जावें। प्रतिवादी कम 6 की ओर से अधि0 अनिल खण्डेलवाल ने जवाब प्रा0 पत्र पेश किया। जो शामिल फाईल किया जाता है। प्रस्तुत जवाब अनुसार– यह कि प्रार्थी ने गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर व सही तथ्यों को छिपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज होने योग्य है। यह कि प्रार्थी को कोई वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। यह कि प्रतिपखी नं0 6 सहखातेदार है तथा उसके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी किसी प्रकार से प्रतिपक्षी नं0 6 के खिलाफ माननीय न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह कि प्रार्थी का केस प्राइमा फेसी केस नहीं है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है और न

अपरिमित क्षति होने की संभावना है। इस कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारीज फरमाया जावें। प्रतिपक्षी नम्बर 6 के खिलाफ जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज फरमायी जावें तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिपक्षी नम्बर 6 के हिस्से पर नोट हटाया जावें। प्रतिवादी नं0 5/1 ने जवाब पेश न कर सीधे ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। प्रकरण को बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराया एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के कथनों को दोहराया गया है। अप्रार्थी कम 5/1 एवं 6 के अधि0 द्वारा न्यायिक दृष्टान्त RRT 2016(2) BABULAL v/s RAM SINGH पेश किये जो शामिल फाईल किया गया। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का गहन अध्ययन अवलोकन एवं मनन किया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अनुसार किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के लिये प्रकरण में निम्न शर्तो की पालना आवश्यक है –

1. क्या यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है ?
2. क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है ?

उपरोकत निर्धारित शर्तो के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन अध्ययन करने पर हम पाते है कि विवादित आराजी पूर्व में संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। रोडू जी का 1/3 हिस्से दर्ज है। रोडू जी की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की भूमि उनके वारिसान के आयी। प्रार्थी का उक्त विवादित आराजी में से केवल 1/3 हिस्से की भूमि में हक व अधिकार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला केवल प्रार्थी के पक्ष में आंशिक रूप से है। चुंकि विवादित आराजी वर्तमान में संयुक्त कब्जा है। प्रार्थी का विवादित आराजी में से रोडू के हिस्से की भूमि में से 1/5 हिस्से में प्रार्थी का कब्जा है। सुविधा का संतुलन भी आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में है। वर्तमान में विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और इस पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा है, जिससे विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थीगण को ही अपूरणीय क्षति होगी तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति होना संभावित नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला आंशिक रूप से है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक रूप से है और इसी कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति भी कारित नहीं हो रही है। प्रतिपक्षीगण खातेदार कृषक है ओर विवादित आराजी पर काबिज काश्त है एवं खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः पत्रावली के समस्त राजस्व रिकार्ड, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपना पक्ष रखने व सिद्व करने में विफल रहा है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में पूर्व में दिनांक 27.02.2025 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। विवादित कुल आराजी 3.96 हे0 में से मृतक रोडू जी के वारिसान के हिस्से (1/3) की भूमि में मौका एवं रिकार्ड का स्थगन आदेश ताफैसला जारी किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद